न्यायालय जिला कलक्टर, दौसा
पीठासीन अधिकारी : देवेन्द्र कुमार
आई0ए0एस0

प्र.सं. 53/2025 प्रार्थना पत्र स्थानांतरण
मुंशीलाल पुत्र बसंतीलाल जाति मीना निवासी ग्राम धरणवास तहसील पापडदा जिला दौसा राज०
... प्रार्थीगण

बनाम

1. गोपी उर्फ गोपीराम पुत्र पून्या
2 रमेशचन्द पुत्र भोज्या
3 राजकुमार पुत्र भोज्या
4 सोनी देवी पत्नि छाजूलाल
5 राकेश पुत्र छाजूलाल
6 राजू पुत्र छाजूलाल
7 मनीषा पुत्री छाजूलाल
8 अनीता पुत्री छाजूलाल
समस्त जाति मीना निवासी ग्राम धरणवास तहसील पापडदा जिला दौसा
9 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील पापडदा जिला दौसा
10 उपतहसीलदार पापडदा तह० पापडदा जिला दौसा
11 यशवंत मीना पीठासीन अधिकारी उपखण्ड अधिकारी नांगल राजावतान जिला दौसा
.....अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण पत्रावली विरूद्व उपजिला कलेक्टर नांगल राजावतान पीठासीन अधिकारी यशवंत मीना आर ए एस प्रकरण उनवानी गोपी आदि बनाम राज० सरकार आदि,प्रकरण संख्या 02/25 अ०धारा 128 ले०रे० एक्ट आगामी तारीख पेशी ।

उपस्थित : 1. श्री योगेश जाकड, अधिवक्ता प्रार्थी।
2. श्री राजकुमार तिंवाडी, अधिवक्ता अप्रार्थी सं0 1 से 8
3. श्री राजेश कुमार शर्मा, राजकीय अधिवक्ता

—:: निर्णय ::—

दिनांकः 3.9.2025

1. संक्षिप्त में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थीगण द्वारा न्यायालय उप जिला कलक्टर नांगल राजावतान में विचाराधीन वाद उनवानी गोपी आदि बनाम राज० सरकार आदि, प्रकरण संख्या 02/25 अ०धारा 128 ले०रे० एक्ट को किसी भी दीगर उप जिला कलक्टर के न्यायालय में सुनवाई हेतु स्थानांतरित करने हेतु प्रार्थना पत्र स्थानांतरण पेश किया गया है।
2. स्थानान्तरण प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण की तलबी की गई। उप जिला कलक्टर नांगल राजावतान से बिन्दुवार टिप्पणी मंगवाई गई।
3. अधिवक्ता प्रार्थीगण ने स्थानान्तरण प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में दलील दी कि अप्रार्थी संख्या 1 ला0 8 द्वारा योग्य अधिनस्थ न्यायालय उपजिला कलेक्टर नांगल राजावतान जिला दौसा [illegible] धारा 128 राज. काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रार्थी व राज. सरकार ज[illegible] तह[illegible]लदार व उपतहसीलदार पापडदा के विरूद्व आराजी खसरा नम्बर 10[illegible] ग्राम धरणवास का सीमाज्ञान कराया जाकर पत्थरगढी करवाये [illegible] साथ प्रस्तुत किया [illegible]में आगामी पेशी 18—6—2025 नियत है। अधिनस्थ न्यायाल[illegible] के पीठासीन अधिक[illegible] कार्यशैली एवम् उनके व्यवहार से प्रार्थी को ऐसा प्रतीत हुआ कि पीठासीन अधिकारी अप्रार्थीगण संख्या 1 ला0 8 को सदोष लाभ पहुचांना चाहते है तथा उनके द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.10.01 12:11:45 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर,दौसा

स्वीकार करने पर आमादा है। विवादित आराजी खसरा नम्बर 1092/571 जिस निर्णय व डिकी के आधार पर प्रार्थीगण की खातेदारी में वर्तमान में दर्ज है वह निर्णय एवम डिकी अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है तथा उक्त निर्णय व डिकी के संदर्भ में माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान द्वारा पारित निगरानी संख्या 5717/2023 उनवानी मुंशीलाल बनाम गोपी उर्फ गोपीराम मे पारित आदेश दिनांक 1–11–2023 की पालना में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा कार्यवाही की जानी चाहिए थी किन्तु अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत आदेश 9 नियम 13 सपठित धारा 151 जा.दी. में के आदेश करने पर कार्यवाही करने की बजाय पत्थरगढी के आदेश करने पर आमादा है जिस बाबत अप्रार्थीगण पक्षकारान ने गांव ऐलानिया कहा है कि उनकी पीठासीन अधिकारी से बात हो गई है वह तारीख पेशी पर उक्त प्रकरण को हमारे हक में फैसला करते हुए सीमाज्ञान कर पत्थरगढी करवाने का निर्णय पारित कर देंगे। तथा राजस्व मण्डल राजस्थान के आदेश तो ऐसे ही रह जाएगा अप्रार्थी पक्ष के लोगो को पीठासीन अधिकारी के चैम्बर में बाते करते देखा है तथा अप्रार्थीगण ने दिनांक 12–6–2025 को प्रार्थी को धमकी दी है कि हमारी पीठासीन अधिकारी से बात हो गई है उक्त प्रकरण को तारीख पेशी पर हमारे हक से फैसला करवा लेंगे। अधिनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी अप्रार्थीगण को सदोष लाभ पहुचांने पर आमादा है तथा पीठासीन अधिकारी भी खुले आम कह रहे है कि मैं उक्त प्रकरण को आगामी पेशी पर प्रार्थीगण के हक में निर्णय पारित करूंगा यदि उपखण्ड अधिकारी एवम अप्रार्थीगण अपने कलुषित उद्वेश्य की पूर्ति में सफल हो जाते है तो प्रार्थी अपने जायज हक हकूक अधिकारो से वंचित हो जावेगा। प्रार्थी को उपखण्ड अधिकारी से न्याय की कोई उम्मीद नही है। अधिनस्थ उपखण्ड अधिकारी की कार्यवाही उनके कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान लगाती है। पीठासीन अधिकारी आनन फानन में उक्त प्रकरण को अप्रार्थी संख्या 1 ला0 8 के हक में फैसला करने पर आमादा है। ऐसी सूरत में प्रार्थी को पीठासीन अधिकारी से न्याय की कोई उम्मीद नहीं है। न्याय का भी यह सिद्वान्त है कि जब पीठासीन अधिकारी से न्याय की कोई उम्मीद नही रहे तो प्रकरण की सुनवाई वहां किया जाना कतई आवश्यक एवम न्यायोचित नही है ऐसी सूरत में उक्त प्रकरण को किसी अन्यत्र सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरण कर सुनवाई किया जाना आवश्यक है एवम तब अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बांदीकुई में होने वाली आगामी प्रोसीडिंग कार्यवाही को स्थगित फरमाया जाना न्यायोचित है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण स्वीकार फरमाया जाकर प्रकरण उनवानी गोपी आदि बनाम राज० सरकार आदि प्रार्थना पत्र अ०धारा 128 राज. काश्तकारी अधिनियम आ. पेशी 18–6–2025 को किसी अन्यत्र न्यायालय सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरित फरमाने की कृपा करे एवम तब तक अधिनस्थ न्यायालय में होने वाली आगामी प्रोसीडिंग कार्यवाही को स्थगित फरमाने की कृपा करे।

4. अधिवक्ता अप्रार्थी सं0 1 से 8 ने बहस में कथन किया कि उप जिला कलक्टर नांगल राजावतान के द्वारा विचाराधीन वाद में पक्षकारान को जवाब और सुनवाई का विधिवत अवसर प्रदान किया जा रहा है। प्रार्थीगण द्वारा उक्त प्रकरण को विलंब करने की गरज से यह प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण पेश किया गया है। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

5. उप जिला कलक्टर नांगल राजावतान से बि[illegible]प्पणी प्राप्त की गई जिसके अनुसार प्रकरण आदेश 9 नियम 13 सप[illegible] दोनों ही न्यायालय में विचाराधीन है जिसमें प्रार्थी व [illegible] जारी किये जाकर समुचित सुनवाई के अवसर प्रदान किये जा रहे है। आदेश 9 नियम 13 सपठित धारा 151 जा0दी0 जवाब में लंबित है तथा पत्थरगढी पत्रावली ब[illegible] में लंबित होकर आगामी तारीख पेशी दिनांक 6.8.2025 में नियत है। प्रकरण में पीठासीन अधिकारी के द्वारा किसी प्रकार का

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.10.01 12:11:45 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

जिला कलेक्टर,दौसा

कोई भेदभाव नहीं किया जा रहा है। दोनों पक्षों को समुचित सुनवाई के अवसर प्रदान किये जा रहे है। यदि प्रार्थी को न्यायालय से न्याय की आशा नहीं है तो न्याय हित व पक्षकारान के हित एवं प्रकरण के निस्तारण किये जाने को दृष्टिगत रखते हुए उक्त प्रकरण को अन्यत्र न्यायालय में स्थानान्तरित कर दिया जाता है तो न्यायालय को कोई आपत्ति नहीं है।

6. हमने उपस्थित अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

7. प्रार्थी का तर्क है कि पीठासीन अधिकारी अप्रार्थी सं0 1 से 8 को अनुचित लाभ पहुँचाना चाहते है। उनके द्वारा प्रार्थीगण को पीठासीन अधिकारी के चैंबर में मिलते देखा है एवं दिनांक 12.6.2025 को धमकी दी है कि पीठासीन अधिकारी से हमारी बात हो गई है एवं आगामी तारीख पेशी पर हमारे पक्ष में फैसला होगा। अतः प्रार्थीगण को पीठासीन अधिकारी से न्याय की उम्मीद नहीं है। प्रार्थीगण द्वारा मुख्य तर्क यह दिया गया है कि विवादित आराजी खसरा नंबर 1092/571 जिस निर्णय व डिक्री के आधार पर प्रार्थीगण की खातेदारी में वर्तमान में दर्ज है वह निर्णय व डिक्री अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है जिस पर माननीय राजस्व मंडल राज0 अजमेर द्वारा पारित निगरानी सं0 5717/2023 उनवानी मुंशीलाल बनाम गोपी में पारित निर्णय दिनांक 1.11.2023 की पालना में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कार्यवाही की जानी है किन्तु पीठासीन अधिकारी उक्त कार्यवाही करने के बजाय पत्थगढी के आदेश करने पर आमादा है।

8. पीठासीनअधिकारी द्वारा अपनी रिपोर्ट में उक्त कथनों को मनगढन्त एवं निराधार बताया है। उनका कथन है कि उक्त दोनों प्रकरणों में दोनों पक्षकारान को नोटिस दिया जाकर समुचित सुनवाई के अवसर दिये जा रहे है। प्रकरण में पीठासीन अधिकारी द्वारा किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जा रहा है।

9. अप्रार्थीगण द्वारा तर्क दिया गया है कि प्रार्थीण प्रकरण को उलझाना चाहते है एवं आदेश 9 नियम 13 सठित धारा 151 सीपीसी के प्रार्थना पत्र की आड में धारा 128 एल.आर.एक्ट की कार्यवाही रूकवाना चाहते है। समस्त पक्षकरान को पीठासीन अधिकारी द्वारा सुनवाई का समुचित अवसर दिया जा रहा है।

10. जहॉ तक प्रश्न पीठासीन अधिकारी के चैंबर में मिलते देखना, अप्रार्थीगण का धमकी देना कि फैसला उनके पक्ष में होगा एवं पीठासीन अधिकारी का अप्रार्थीगण को अनुचित लाभ पहुंचाने का प्रश्न है तो इस संबंध में प्रार्थीगण कोई भी साक्ष्य प्रस्तुत करने में असफल रहे है। जहॉ तक प्रश्न कि क्या उप जिला कलक्टर नांगल राजावतान के आदेश दिनांक 30.6.2023 के विरूद्ध जो माननीय राजस्व मंडल अजमेर का आदेश निगरानी/5717/2023/टीए/दौसा/मुंशीलाल बनाम गोपी में राजस्व मंडल द्वारा उक्त आदेश को निरस्त कर प्रार्थना पत्र आदेश 14 नियम 5 को निरस्त कर सपठित धारा 151 सीपीसी पर दोनो पक्षो को सुनवाई करते हुए निर्णय देने का आदेश पारित किया गया है एवं अधीनस्थ न्यायालय ने आदेश 9 नियम 13 सपठित धारा 151 की कार्यवाही (मुकदमा राजस्व वाद 32/2020 उनवानी गोपी आदि बनाम बसन्ती) प्रकियाधीन रहते हुए क्या उक्त विाादित आराजी से संबंधित दूसरे प्रकरण धारा 128 [illegible] को रोक दिया जायेगा तो इस संबंध में ऐसा कोई नियम या कानूनी सिद्धान्त नहीं है। इस बिन्दु पर पीठासीन अधिकारी किसी कानून से बंधे हुए नहीं है एवं [illegible] देखते हुए वह स्वयं निर्णय लेने हेतु स्वतंत्र है।

9. उप जिला कलक्टर नांगल राजावतान में विचाराधीन प्रकरण में विचाराधीन वाद उनवानी गोपी आदि बनाम राज० सरकार आदि, प्रकरण संख्या 02/25 अ०धारा 128 ले०रे० एक्ट को दीगर उप जिला कलक्टर को स्थानान्तरित करने हेतु प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.10.01 12:11:45 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर, दौसा

स्थानान्तरण खारिज किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय उप जिला कलक्टर नांगल राजावतान को निर्णय की प्रति भिजवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद पूर्ति प्रविष्ठ लेख भण्डार हो।

(देवेन्द्र कुमार)
जिला कलक्टर, दौसा

निर्णय आज दिनांक 3 सितम्बर, 2025 को लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मुद्रांकित खुले न्यायालय सुनाया गया। इस निर्णय की अपील सक्षम न्यायालय में नियत समयावधि के भीतर की जा सकेगी।

(देवेन्द्र कुमार)
जिला कलक्टर, दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Signature Not Verified

Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.10.01 12:11:45 IST
Reason: SelfAttested